बिहार सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार
परिवार कल्याण भवन शेखपुरा पटना–14

बिहार

वाहन नीलामी सूचना

राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के निम्नलिखित वाहनो की नीलामी दिनांक 18.07.11 को जहाँ, जैसे है, के आधार पर पूर्वाह्न 11:00 बजे की जाएगी।

वाहन का वर्तमान अवस्थित स्थान इस प्रकार हैः–

क्रम सं०	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	अवस्थित स्थान	सुरक्षित जमा राशि
1	TR-383	क्वालिस	सचिवालय, विकास भवन	रु० 25000/–
2	BR1H-340	जिप्सी	पुराना सचिवालय मेन गेट के बाहर	रु० 20000/–
3	TR-455	जीप	राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा	रु० 15000/–
4	DL9C-4112	ट्रैक्स जीप	राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा	रु० 20000/–
5	BR1P-1629	सुमो	राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा	रु० 25000/–

वाहनों के नीलामी के शर्ते

क. वाहन की नीलामी **"As is where is"** (जो जिस अवस्था में है) के आधार पर किया जाएगा।

ख. वाहन की नीलामी में डाक बोलने पूर्व प्रतिभूति के रूप में 15 हजार (पन्द्रह हजार) रु० नगद जमा करना होगा।

ग. सबसे अधिक डाक बोलने वाले व्यक्ति को डाक की राशि का 50 प्रतिशत दो घन्टे के अन्दर जमा करना होगा। शेष राशि दो दिनों के अन्दर जमा करनी होगी। डाक की रकम पर वाणिज्य कर (VAT) भी अलग से देय होगा।

घ. उच्चतम दो डाक वक्ताओं को छोड़कर शेष को उनकी प्रतिभूति राशि तत्काल वापस कर दी जाएगी। उच्चतम डाक वक्ता द्वारा डाक की राशि जमा कर देने के बाद द्वितीय उच्चतम डाक वक्ता को प्रतिभूति की राशि लौटायी जाएगी।

ड०. डाक बोलने के क्रम में एक बार में 1000 (एक हजार) रु० की बोली लगानी होगी।

च. नीलामी पर सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदन पश्चात ही विक्रय आदेश निर्गत किया जाएगा एवं उसके उपरांत ही वाहन को परिसर से हटाया जाएगा।

छ. वाहन के निबंधन एवं बीमा की जिम्मेवारी डाक वक्ता की होगी

ज. निर्धारित अवधि में डाक की राशि जमा नही करने पर प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जाएगी।

झ. राज्य स्वास्थ्य समिति को बिना कारण बताये डाक अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(कार्यपालक निदेशक)